न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 10/2012/नागौर (2012/00012)

हरीराम पुत्र श्री आशाराम जाति जाट, निवासी ग्राम छीलरा हाल निवासी नागौर।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आदेश कमांक प.21 ( )न्याय/आर्म्स/ 2011/8421
दिंनाक 18–11–2011

———

उपस्थितः 1– श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 07.03.2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 22/1998 को जारी किया गया जिसे अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के कार्यालय में पंजीकृत कराया। अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र में एक 12 बोर डीबीबीएल आई आई ओ एफ गन दर्ज है जिसका नम्बर ए/1–14450 दर्ज है जो दिनांक 18–8–1998 को कय की गई उक्त अनुज्ञा पत्र को पुनः नवीनीकरण कराने हेतु अपीलार्थी ने आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5–9–2011 में अंकित किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो भी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुए है उनमें सभी में या तो न्यायालय द्वारा बरी किया गया या अदम वकू में एफ.आर. लगा दी गई। इस प्रकार किसी भी न्यायालय ने कभी

भी अपीलार्थी को दोषी नहीं माना, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने बिना कारण अंकित किये अपीलार्थी का आवेदन पत्र अपने आदेश दिनांक 18–11–2011 द्वारा निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के आदेश दिनांक 18–11–2011 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अपितु अपीलार्थी द्वारा जवाब देने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रशासनिक तरीके से आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त कर अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने जो रिपोर्ट दिनांक 5–9–2011 को जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रेषित की जिसमें प्रकरण संख्या 150/99 दिनांक 8–4–99 को अपीलार्थी को बरी करना बताया, मु0न0 288/94, 109/98, 312/95, 261/96, 314/96 व 934/96, 261/2002, 490/2004 में एफ. आर व अदम वकू में दी गई। इस प्रकार समस्त प्रकरणों में या तो एफ आर लगा दी गई जो अदम वकू में दी गई, जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसा वाक्या हुआ ही नहीं। इसके अलावा अन्य प्रकरण में अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया। इसके बावजूद भी जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलार्थी को हिस्ट्रीशीटर होना किन कारणों से अंकित किया ऐसा कोई कारण अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने अंकित नहीं किया है। जबकि उनकी रिपोर्ट में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करना अंकित है इसका तात्पर्य यह है कि अपीलार्थी ने वह अपराध ही नहीं किया जिसके बारे में विचार किया जा सके।

जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश में स्वयं का कोई विवेचन नहीं किया ऐसे कोई कारण एवं आधार का उल्लेख नहीं किया जिससे न्यायालय किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा हो, मात्र पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा धारा 17 में जो आधार अंकित किया गया व माननीय न्यायलय ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है अत्यन्त ही मनमाने तौर पर जिला मजिस्ट्रेट, ने आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–11–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 5318 दिनांक 5–9–2011 में अपीलार्थी के विरूद्ध थानाधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है एवं इसके विरूद्ध 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया जाकर अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 18–11–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5–9–2011 में अपीलार्थी के विरूद्ध आई.पीसी की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 14 प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया है जिनमें 2 प्रकरणों में अपीलार्थी को सजा हुई तथा 3 प्रकरण अभी भी जैर ट्रायल है। अपीलार्थी ने दौराने बहस ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थी के विरूद्ध वर्तमान में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण जैर ट्रायल होने के आधार पर लोक शांति की सुरक्षा या लोकक्षेम के विपरीत प्रभाव पड़ने को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) नागौर का आदेश क्रमांक प–21 ( ) न्याय/ आर्म्स/2011/8421 दिनांक 18–11–2011 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर